मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–316

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों तथा 292–गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए 23 मई को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन

छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों तथा गैंसड़ी विधानसभा सीट के लिए 25 मई को होगा मतदान

चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी

दिनांक : 22 मई, 2024

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 में छठे चरण के अंतर्गत प्रदेश की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 292–गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए 25 मई, 2024 (शनिवार) को मतदान होगा। छठे चरण के इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 146 पुरूष तथा 16 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं, बलरामपुर जनपद की 292–गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 07 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–126 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात् कल 23 मई, 2024 को सायं 06 बजे से छठे चरण के सभी 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए भी चुनाव प्रचार–प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छठे चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनैतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में छठे चरण के अंतर्गत 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 25 मई, 2024 (शनिवार) को मतदान होना है। इस चरण की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 38—सुल्तानपुर, 39—प्रतापगढ़, 51—फूलपुर, 52—इलाहाबाद, 55—अम्बेडकरनगर, 58—श्रावस्ती, 60—डुमरियागंज, 61—बस्ती, 62—संत कबीर नगर, 68—लालगंज (अ0जा0), 69—आजमगढ़, 73—जौनपुर, 74—मछलीशहर (अ0जा0), 78—भदोही लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें से 12 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 02 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छठे चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा भदोही सहित 15 जिलों के अंतर्गत आते हैं।

————————